रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112024-258399
CG-DL-E-01112024-258399

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616] नई दिल्ली बुधवार, अक्तूबर 30, 2024/ कार्तिक 8, 1946
No. 616] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2024/KARTIKA 8, 1946

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2024

सा. का. नि. 674(अ).—जबकि दूरसंचार (वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली के प्रचालन के लिए वाणिज्यिक रेडियो ऑपरेटर का प्रवीणता प्रमाणपत्र) नियम, 2024 का एक प्रारूप जिसे केंद्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (यज) के साथ पठित धारा 46 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, जिसे भारत सरकार के संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग संख्या सा.का.नि 446 (अ.) तारीख 24 जुलाई 2024 की अधिसूचना के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, धारा 3, उप-धारा (i), तारीख 24 जुलाई 2024 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (1) अधीन प्रकाशित किया गया था, जिससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां 24 जुलाई, 2024 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (यज) के साथ पठित धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय बेतार टेलीग्राफी (वाणिज्यिक रेडियो

ऑपरेटर का प्रवीणता प्रमाणपत्र और वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली के प्रचालन के लिए लाइसेंस) नियम, 1997 के अधिक्रमण में जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया या करने का लोप किया गया है और निबंधन और शर्तों को अध्यारोही प्रभाव के बिना ऐसी व्यवस्थाओं की समाप्ति की तारीख तक उन नियमों के अधीन विद्यमान व्यवस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार (वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली के प्रचालन के लिए वाणिज्यिक रेडियो ऑपरेटर का प्रवीणता प्रमाणपत्र) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ – (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

क) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;

ख) "वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली" से समुद्री सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं, आवृत्तियों, उपकरणों के प्रकार और संचार प्रोटोकॉल का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत सेट जो जहाज और तट दोनों ही स्थानों पर स्थलीय और उपग्रहीय रेडियो प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए प्रचालन अभिप्रेत है;

ग) "वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली (जीएमडीएसएस) प्रमाणपत्र" से, जीएमडीएसएस साधारण प्रचालक प्रमाणपत्र या जीएमडीएसएस प्रतिबंधित प्रचालक प्रमाणपत्र अभिप्रेत है, जैसा कि नियम 4 के उप-नियम (1) के अधीन निर्दिष्ट है, और "जीएमडीएसएस प्रमाणपत्र धारक" से अभिप्राय है वह व्यक्ति जिसे नियम 8 के अधीन ऐसा प्रमाणपत्र दिया गया है;

घ) "अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन" से 1992 में जिनेवा में हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का सम्मेलन या उसके बाद का कोई संशोधन या सुधार अभिप्रेत है जिसे भारत सरकार ने अनुसमर्थित या स्वीकार किया है;

ङ) "पोर्टल" से वह पोर्टल अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के नियम 15 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;

च) "रेडियो विनियम" से विश्व रेडियो संचार सम्मेलन (जेनेवा 1995) द्वारा अपनाए गए विनियमन और इसमें प्रत्येक संशोधन या सुधार शामिल हैं जिसे भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित या स्वीकार किया गया अभिप्रेत है;

छ) "डब्ल्यूपीसी विंग" से दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार का बेतार आयोजना एवं समन्वय विंग अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दो और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु इस अधिनियम में परिभाषित हैं क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उस अधिनियम में हैं।

3. कार्य-क्षेत्र – कोई भी व्यक्ति इन नियमों के अधीन जीएमडीएसएस प्रमाणपत्र के निबंधन और शर्तों के अनुसार वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली का प्रचालन करेगा।

4. जीएमडीएसएस प्रमाणपत्रों की श्रेणियाँ और पात्रता – (1) जीएमडीएसएस प्रमाणपत्रों की निम्नलिखित दो श्रेणियां होंगी जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नियम 8 के अधीन प्रदान किया जा सकता है, अर्थात्:

(क) जीएमडीएसएस साधारण प्रचालक प्रमाणपत्र; और

(ख) जीएमडीएसएस प्रतिबंधित प्रचालक प्रमाणपत्र

(2) कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक होने के नाते, जो नीचे निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और नियम 7 के अधीन निर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण करता है, यथास्थिति जीएमडीएसएस साधारण प्रचालक प्रमाणपत्र या, जीएमडीएसएस प्रतिबंधित प्रचालक प्रमाणपत्र की मंजूरी के लिए पात्र होगा -

क्रम सं.	**जीएमडीएसएस साधारण प्रचालक प्रमाणपत्र**	**जीएमडीएसएस प्रतिबंधित प्रचालक प्रमाणपत्र**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	परीक्षा की तारीख को अठारह वर्ष से अधिक आयु।	परीक्षा की तारीख को अठारह वर्ष से अधिक आयु।

2.	(क) अखिल भारतीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा (12 वीं कक्षा) या भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित गणित और भौतिक विज्ञान विषयों के साथ समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है; अथवा (ख) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के उपबंधों के अंतर्गत नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा जारी या मान्यता प्राप्त योग्यता या इसके समकक्ष का विधिमान्य प्रमाण-पत्र रखता है; अथवा (ग) डब्ल्यूपीसी विंग द्वारा जारी प्रवीणता या इसके समकक्ष कोई विधिमान्य प्रमाण-पत्र रखता है।	(क) माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा (10 वीं कक्षा) या भारत में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के समुद्री या मत्स्य पालन विभागों के कानूनी निकायों द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाण-पत्र रखता है; अथवा (ख) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के उपबंधों के अधीन नौवहन महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा जारी या मान्यता प्राप्त योग्यता या इसके समकक्ष का विधिमान्य प्रमाण-पत्र रखता है; अथवा (ग) डब्ल्यूपीसी विंग द्वारा जारी प्रवीणता या इसके समकक्ष कोई विधिमान्य प्रमाण-पत्र रखता है।
3.	केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदन प्राप्त किसी भी संस्थान में वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली उपकरण पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो जिसकी अवधि लगातार दो सप्ताह (न्यूनतम छियानबे घंटे) के लिए हो।	केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदन प्राप्त किसी भी संस्थान में वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली उपकरण पर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया हो जिसकी अवधि कम से कम एक सप्ताह (न्यूनतम चालीस घंटे) के लिए हो।

परंतु केंद्रीय सरकार, ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन जो समय-समय पर निर्दिष्ट हो सकती है, किसी व्यक्ति को, जो भारत का नागरिक नहीं है, नियम 7 के अधीन आयोजित परीक्षा और गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से इस संबंध में संबंधित श्रेणी के अधीन जीएमडीएसएस प्रमाणपत्र प्रदान करने पर विचार करने हेतु प्रशासनिक मंजूरी के लिए अनुमति दे सकती है।

(5) जीएमडीएसएस साधारण प्रचालक प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा के लिए आवेदन – (1) नियम 4 के उप-नियम (2) के अधीन निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति जीएमडीएसएस जीएमडीएसएस साधारण प्रचालक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए केंद्रीय सरकार को परीक्षा हेतु इस प्रयोजन के लिए पोर्टल में निर्दिष्ट प्रपत्र में आवेदन कर सकता है और एक हजार रुपये की फीस का भुगतान कर सकता है।

(2) जीएमडीएसएस साधारण प्रचालक प्रमाणपत्र को प्रदान करने के लिए परीक्षा में निम्नलिखित दो भाग होंगे:

(क) भाग-I में 60 अंकों के लिए लिखित परीक्षा है, जिसके लिए उत्तीर्णांक 36 अंक होंगे;

(ख) भाग-II में 100 अंकों के लिए व्यावहारिक और मौखिक परीक्षा शामिल है, जिसके लिए उत्तीर्णांक 70 अंक होंगे।

(3) परीक्षा के भाग-I को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद भाग-II को करना केवल उन आवेदकों के लिए आज्ञापक अपेक्षा होगी जिन्होंने पहले जीएमडीएसएस साधारण प्रचालक प्रमाण पत्र नहीं किया है और जो ऐसे प्रमाण-पत्र की समाप्ति के पांच वर्ष से अधिक समय बाद जीएमडीएसएस साधारण प्रचालक प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं ।

(4) नियम 9 के उप-नियम (1), उप-नियम (2) और उप-नियम (3) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति भाग- II परीक्षा के लिए सीधे आवेदन कर सकते हैं।

6. जीएमडीएसएस प्रतिबंधित प्रचालक प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए परीक्षा के लिए आवेदन – (1) नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति केंद्रीय सरकार को जीएमडीएसएस प्रतिबंधित ऑपरेटर प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए परीक्षा हेतु इस प्रयोजन के लिए पोर्टल में दिए निर्दिष्ट प्रपत्र में आवेदन कर सकता है और एक हजार रुपये की फीस का भुगतान कर सकता है।

(2) जीएमडीएसएस प्रतिबंधित प्रचालक प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा दो भागों में होगी भाग-I लिखित परीक्षा होगी और भाग-II में व्यावहारिक और मौखिक परीक्षा होगी परीक्षा के प्रत्येक भाग के लिए 50 अंक होगा और एक सफल आवेदक को भाग-I और भाग-II दोनों में संयुक्त रूप से कुल 50 अंक प्राप्त करने होंगे।

7. जीएमडीएसएस प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए परीक्षा का आयोजन – (1) केंद्रीय सरकार क्रमशः जीएमडीएसएस साधारण प्रचालक प्रमाण पत्र और जीएमडीएसएस प्रतिबंधित प्रचालक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, स्थान, रीति, तारीख और समय और ऐसी परीक्षा के परिणामों की घोषणा की तारीख प्रकाशित करेगी।

(2) ऐसी परीक्षा की भाषा अंग्रेजी होगी।

8. जीएमडीएसएस प्रमाण पत्र प्रदान करना और वैधता – (1) केंद्रीय सरकार नियम 7 के अधीन जांच पूरी होने पर अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी करेगी जो छह माह तक वैध होगा। निबंधन और शर्तें अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन और रेडियो विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

(2) अनंतिम प्रमाण-पत्र धारक को प्रोविजनल प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर संबंधित श्रेणी के जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करना होगा।

(3) कोई भी अनंतिम प्रमाण-पत्र धारक जो छह माह की अवधि के बाद और अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख से दो वर्ष तक जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन करता है, उसे उप-नियम (5) के अंतर्गत देय शुल्क के अतिरिक्त एक हजार रुपए के विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा।

(4) उप-नियम (1) के अंतर्गत अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा।

(5) निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी के अधीन जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र निम्नलिखित तालिका में विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान के अधीन जारी किया जाएगा:

प्रमाण पत्र की श्रेणी	**शुल्क**
(i) जीएमडीएसएस साधारण प्रचालक प्रमाण-पत्र	बीस वर्ष की वैधता अवधि के लिए दस हजार रुपये; और आजीवन वैधता के लिए पंद्रह हजार रुपये
(ii) जीएमडीएसएस प्रतिबंधित ओपरेटर प्रमाण-पत्र	आजीवन वैधता के लिए पांच हजार रुपये

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए "आजीवन" शब्द से जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र धारक द्वारा अस्सी वर्ष की आयु प्राप्त करने से अभिप्रेत है।

(6) जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि उप-नियम के अंतर्गत अनंतिम प्रमाण-पत्र जारी होने की घोषणा की तारीख से शुरू होगी और जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र की प्रत्येक श्रेणी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन और रेडियो विनियमों के अनुसार यथाविनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के अधीन होगी।

9. जीएमडीएसएस साधारण प्रचालक प्रमाण-पत्र का नवीकरण – (1) बीस वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए वैध जीएमडीएसएस साधारण प्रचालक प्रमाण-पत्र का नवीकरण ऐसे जीएमडीएसएस साधारण प्रचालक प्रमाण-पत्र की समाप्ति से एक वर्ष पूर्व किए गए आवेदन के आधार पर इस पोर्टल में इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप में इसके नियम 8 के उप-नियम (5) के अधीन निर्धारित किए गए शुल्क का भुगतान करने पर और निम्नलिखित निर्धारित मानदंडों में से किसी एक मानदंड को पूरा करने पर आगे बीस वर्ष की अवधि के लिए अथवा आजीवन के लिए नवीकृत किया जा सकता है:

(क) जीएमडीएसएस साधारण प्रचालक प्रमाण-पत्र की समाप्ति की तारीख से ठीक पूर्व पांच वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम छह माह के कुल अनुभव का प्रमाण प्रस्तुत करना; अथवा

(ख) नियम 5 के उप-नियम (2) के खंड (ख) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट परीक्षा के भाग-II को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना।

(2) जीएमडीएसएस साधारण प्रचालक प्रमाण-पत्र की समाप्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन उप-नियम (1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानदंडों की पूर्ति और एक हजार रुपये के विलंब शुल्क के भुगतान के अधीन होगा।

(3) जीएमडीएसएस साधारण प्रचालक प्रमाण-पत्र की समाप्ति की तारीख से दो वर्ष के बाद नवीकरण के लिए आवेदन पर नियम 8 के उप-नियम (5) के अंतर्गत निर्धारित किए गए शुल्क के भुगतान तथा एक हजार रुपये के विलंब शुल्क का भुगतान भी करने के अतिरिक्त नियम 5 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट परीक्षा के भाग-II को आवेदक द्वारा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर ही विचार किया जाएगा।

(4) जीएमडीएसएस साधारण प्रचालक प्रमाण-पत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी जीएमडीएसएस साधारण प्रचालक प्रमाण-पत्र का नवीकरण नहीं किया जाएगा।

10. प्रतिकृति जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र जारी करना - (1) जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र की प्रतिकृति प्रति के लिए केंद्रीय सरकार को इस प्रयोजन के लिए यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप में एक हजार रुपये के शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन करना होगा।

परंतु यदि जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र खो जाता है तो आवेदन के साथ स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्रमाण-पत्र खोने के संबंध में दर्ज कराई गई रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसे आवेदन के आधार पर प्रतिकृति जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र जारी कर सकती है।

11. जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र धारकों पर लागू साधारण दायित्व- (1) केन्द्रीय सरकार इन नियमों के अंतर्गत किसी भी समय जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र धारक से जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है और जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र धारक को ऐसी मांग का अनुपालन करना होगा।

(2) जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र धारक ऐसे जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली किसी भी निबंधन एवं शर्त में किए गए संशोधन, परिवर्तन, प्रतिसंहरण अथवा निलबंन से बाध्य होगा। नियम 15 के अंतर्गत अधिसूचित होने पर ऐसे परिवर्तनों को आधिकारिक वेबसाइट और इसके साथ-साथ पोर्टल पर पर प्रकाशन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा और जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर ईमेल भी भेजा जाएगा।

(3) यदि कोई संदेश जिसे प्राप्त करने का अधिकार जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र धारक को नहीं है, उसे वह संदेश प्राप्त होता है तो ऐसा जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र धारक इसके विषयों, इसके स्रोत अथवा गंतव्य, इसके अस्तित्व अथवा इसकी प्राप्ति के तथ्य किसी भी व्यक्ति को ज्ञात नहीं करेगा अथवा ज्ञात करने की अनुमति नहीं देगा, (केंद्रीय सरकार अथवा किसी न्यायालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को) और ऐसे संदेश की लिखित में प्रतिकृति नहीं बनाएगा, उसकी प्रतिलिपि नहीं बनाएगा अथवा ऐसे संदेश का कोई उपयोग नहीं करेगा अथवा उस संदेश को लिखित में प्रतिकृति बनाने, प्रतिलिपि बनाने अथवा उसका उपयोग किए जाने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

12. अन्य देशों द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों की मान्यता - केन्द्रीय सरकार वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली संचालित करने के प्रयोजन से समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अधीन नियम 8 के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रमाण-पत्रों की तर्ज पर किसी अन्य देश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों को मान्यता दे सकती है।

13. जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र को निलंबित अथवा रद्द करना - केन्द्रीय सरकार जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र को निलंबित अथवा रद्द कर सकती है यदि उसके विचार में जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र धारक ने:

(क) ऐसे जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र के लिए लागू अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सम्मेलन और रेडियो विनियमों के उपबंधों अथवा रेडियो उपकरण के प्रचालन के संबंध में जारी किए गए जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र की निबंधन एवं शर्तों का पालन करने में विफल रहा हो अथवा

(ख) जानबूझकर केन्द्रीय सरकार को गलत अथवा असत्य सूचना दी हो;

परंतु इस उप-नियम के अंतर्गत निलंबित अथवा रद्द करने का कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र धारक को ऐसे निलंबित अथवा रद्द करने के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

14. फीस वापस नहीं की जाएगी - किसी भी कारण से जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र को निलंबित अथवा रद्द करने अथवा जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र के निबंधन और शर्तों के किसी भी संशोधन, परिवर्तन, रद्द करने अथवा प्रतिसंहरण के परिणामस्वरूप कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा अथवा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

15. इन नियमों का डिजिटल कार्यान्वयन - केंद्रीय सरकार इस अधिनियम की धारा 53 के अनुक्रम में इन नियमों के डिजिटल कार्यान्वयन के लिए पोर्टल अधिसूचित कर सकती है जिसमें आवेदन प्रस्तुत करना, पाठ्यक्रम का प्रकाशन, परीक्षा का स्थान, रीति, तारीख और समय, परीक्षा के परिणामों की घोषणा, जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्र प्रदान करना, निबंधन और शर्तों में संशोधन, जीएमडीएसएस प्रमाण-पत्रों के संचालन के लिए यथा अपेक्षित कोई अन्य अनुमति, अनुदेश अथवा निर्देश शामिल हैं।

[फा. सं. 24-03/2024-यूबीबी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2024

G.S.R. 674(E).—Whereas a draft of the Telecommunications (Commercial Radio Operator Certificate of Proficiency to Operate Global Maritime Distress and Safety System) Rules, 2024, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred under section 46, read with clause (zh) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), was published as required by sub-section (1) of section 56 of the said Act *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Communications, Department of Telecommunications number G.S.R. 446 (E), dated the 24th July 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 24th July 2024, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 24th July, 2024;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 46 read with clause (zh) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023), and in supersession of the Indian Wireless Telegraphy (Commercial Radio Operators Certificate of proficiency and licence to operate Global Maritime Distress ad Safety System) Rules, 1997 except as respects things done or omitted to be done before such supersession and without overriding the terms and conditions of existing arrangements under those rules till the date of expiry of such arrangements, the Central Government hereby makes the following rules, namely:–

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Telecommunications (Commercial Radio Operator Certificate of Proficiency to Operate Global Maritime Distress and Safety System) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);

(b) "Global Maritime Distress and Safety System" means an internationally agreed set of safety procedures, frequencies, types of equipment, and communication protocols for maritime safety, which operates using terrestrial and satellite radio technologies, both onboard ships and onshore;

(c) "Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Certificate" means the, GMDSS General Operator Certificate or the GMDSS Restricted Operator Certificate, as specified under sub-rule (1) of rule 4, and a "GMDSS Certificate holder" means the person who has been granted such certificate under rule 8;

(d) "International Telecommunication Convention" means the Convention of the International Telecommunication Union signed at Geneva in 1992 or any subsequent revision or modification thereof, which the Government of India has ratified or accepted;

(e) "portal" means the portal to be notified by the Central Government under rule 15 of these rules;

(f) "Radio Regulations" means the regulations adopted by the World Radiocommunication Conference (Geneva 1995) and includes every revision or modification thereof which the Government of India has ratified or accepted; and

(g) "WPC Wing" means the Wireless Planning and Co-ordination Wing of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India.

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Scope. – No person shall operate Global Maritime Distress and Safety System except under and in accordance with the terms and conditions of a GMDSS Certificate granted under these rules.

4. Categories of GMDSS certificates and eligibility. – (1) There shall be the following two categories of GMDSS certificates, which may be granted by the Central Government under rule 8, namely:

(a) GMDSS General Operator Certificate; and

(b) GMDSS Restricted Operator Certificate

(2) Any person, being a citizen of India, who satisfies the eligibility criteria as set forth below and qualifies the examination specified under rule 7, shall be eligible for grant of a GMDSS General Operator Certificate or, as the case may be, GMDSS Restricted Operator Certificate,-

S. No.	**GMDSS General Operator Certificate**	**GMDSS Restricted Operator Certificate**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Above the age of eighteen years, as on the date of examination.	Above the age of eighteen years, as on the date of examination.
2.	(a) Passed the All India Senior Secondary School Certificate Examination (12th standard) or equivalent examination conducted by a recognised Board or University in India with Mathematics and Physics as subjects; or (b) Holds a valid Certificate of Competency or its equivalent issued or recognised by the Directorate General of Shipping, Government of India, under the provisions of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958); or (c) Holds a valid certificate of proficiency or its equivalent issued by the WPC Wing.	(a) Passed the Secondary School Certificate Examination or an equivalent examination (10th standard) conducted by a recognised Board in India or holds a valid certificate issued by statutory bodies of maritime or fisheries departments of the Central Government or State Government; or (b) Holds a valid Certificate of Competency or its equivalent issued or recognised by the Directorate General of Shipping, Government of India, under the provisions of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958); or (c) Holds a valid certificate of proficiency or its equivalent issued by the WPC Wing.
3.	Has undergone practical training on Global Maritime Distress and Safety System equipment, in any of the institutes approved by the Central Government from time to time, for a period not less than two continuous weeks (minimum ninety-six hours):	Has undergone practical training on Global Maritime Distress and Safety System equipment, in any of the institutes approved by the Central Government from time to time, for a period not less than one week (minimum forty hours):

Provided that the Central Government may, subject to such terms and conditions as it may specify from time to time, permit a person, not being a citizen of India, to undertake the examination held under rule 7 and administrative clearance in this behalf from the Ministry of Home Affairs and Ministry of External Affairs, for consideration of grant of the GMDSS Certificate under the relevant category.

5. Application for examination for grant of GMDSS General Operator Certificate. – (1) Any person satisfying the eligibility criteria set forth under sub-rule (2) of rule 4 may make an application for the examination for obtaining the GMDSS General Operator Certificate to the Central Government, in the form as may be specified for this purpose in the portal along with fees of one thousand rupees.

(2) Examination for grant of GMDSS General Operator Certificate shall consist of the following two parts, namely, -

(a) Part-I - comprising a written examination for 60 marks, for which the passing marks shall be 36 marks; and

(b) Part-II - comprising a practical and oral examination, for 100 marks, for which the passing marks shall be 70 marks.

(3) The successful completion of Part-I of the examination shall be a mandatory requisite for undertaking Part-II only for applicants who have previously not held GMDSS General Operator Certificate, and those applying for a GMDSS General Operator Certificate more than a period of five years after the expiry of such certificate.

(4) The persons applying for renewal under sub-rule (1), sub-rule (2) and sub-rule (3) of rule 9 may apply directly for the Part-II examination.

6. **Application for examination for grant of GMDSS Restricted Operator Certificate. –** (1) Any person satisfying the eligibility criteria set forth under sub-rule (2) of rule 4 may make an application for the examination for obtaining GMDSS Restricted Operator Certificate to the Central Government, in the form as may be specified for this purpose in the portal along with fees of one thousand rupees.

(2) Examination for grant of GMDSS Restricted Operator Certificate shall consist of Part-I comprising a written examination and Part-II comprising practical and oral examination, each part having 50 marks, and a successful applicant shall be required to obtain a total combined score of 50 marks in Part I and Part II together.

7. **Conduct of examination for grant of GMDSS Certificate. –** (1) The Central Government shall publish the syllabus, place, manner, date and time for the examination for obtaining the GMDSS General Operator Certificate and GMDSS Restricted Operator Certificate respectively, and the date of announcement of the results of such examination.

(2) The language of such examination shall be English.

8. **Grant and validity of GMDSS Certificate. –** (1) The Central Government shall, upon successful completion of the examination under rule 7, issue a provisional certificate with a validity of six months, the terms and conditions of which shall be as specified therein, in accordance with the International Telecommunication Convention and the Radio Regulations.

(2) A provisional certificate holder shall apply for GMDSS Certificate of the relevant category, within a period of six months from the date of issue of the provisional certificate.

(3) Any provisional certificate holder who applies for the GMDSS Certificate beyond a period of six months and up to two years from date of issue of provisional certificate, shall be required to make a payment of late fees of one thousand rupees in addition to the fees payable under sub-rule (5).

(4) The GMDSS Certificate shall not be granted upon lapse of two years from the date of issue of provisional certificate under sub-rule (1).

(5) GMDSS Certificate under any of the following categories shall be issued subject to payment of fees as specified below,-

Category of Certificate	Fee
(i) GMDSS General Operator Certificate	Ten thousand rupees for validity period of twenty years; and Fifteen thousand rupees for lifetime validity.
(ii) GMDSS Restricted Operator Certificate	Five thousand rupees for lifetime validity.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the expression "lifetime" means till the GMDSS Certificate holder attains the age of eighty years.

(6) The validity period of the GMDSS Certificate shall commence from the date of issue of provisional certificate under sub-rule (1), and each category of GMDSS Certificate shall be subject to terms and conditions as specified therein, in accordance with the International Telecommunication Convention and the Radio Regulations.

9. **Renewal of GMDSS General Operator Certificate. –** (1) A GMDSS General Operator Certificate which is valid for an initial period of twenty years, may be renewed for another twenty years or for lifetime, based on an application made within a period of one year prior to the expiry of such GMDSS General Operator Certificate, in the form as may be specified by the Central Government for this purpose in the portal along with payment of fees as provided under sub-rule (5) of rule 8 thereof, and fulfilment of either of the following criteria namely,-

(a) submission of proof of total experience of not less than six months, within a period of five years immediately preceding the date of expiry of the GMDSS General Operator Certificate; or

(b) successful completion of Part-II of the examination as specified under clause (b) of sub-rule (2) of rule 5.

(2) An application for renewal made within a period of two years after the date of expiry of the GMDSS General Operator Certificate, shall be granted subject to the fulfilment of the criteria specified under sub-rule (1) along with payment of late fee of one thousand rupees.

(3) An application for renewal after a period of two years from the date of expiry of the GMDSS General Operator Certificate, shall be considered only upon successful completion by the applicant of Part-II of the examination as specified under rule 5, in addition to payment of fee as provided under sub-rule (5) of rule 8, as well as payment of late fee of one thousand rupees.

(4) No GMDSS General Operator Certificate shall be renewed after a lapse of five years from the date of expiry of the GMDSS General Operator Certificate.

10. Issue of duplicate GMDSS Certificate. – (1) An application for duplicate GMDSS Certificate may be made to the Central Government in the form as specified for this purpose in the portal, along with payment of fee of one thousand rupees:

Provided that in case the GMDSS Certificate is lost, such application shall be accompanied with the report filed with the local police regarding such loss.

(2) The Central Government may issue a duplicate GMDSS Certificate based on such application.

11. General obligations applicable to GMDSS Certificate holders. – (1) The Central Government may at any time require the GMDSS Certificate holder to produce the GMDSS Certificate and the GMDSS Certificate holder shall comply with such requirement.

(2) The GMDSS Certificate holder shall be bound by modification, variation, cancellation or revocation of any of the terms and conditions governing the grant of such GMDSS Certificate and such changes shall be made available through publication on the official website, as well as on the portal as and when notified under rule 15, and an email shall also be sent to the email address provided by the applicant in his application for grant of GMDSS Certificate.

(3) If any message which a GMDSS Certificate holder is not entitled to receive, is received, such GMDSS Certificate holder shall not make known or allow to be made known, its contents, its origin or destination, its existence or the fact of its receipt, to any person, other than to an officer duly authorised for this purpose by the Central Government or a court of law, and shall not reproduce in writing, copy or make any use of such message or allow the same to be reproduced in writing, copied or made use of.

12. Recognition of certificates issued by other countries. – The Central Government may, subject to the terms and conditions as it may specify from time to time, recognise the certificates similar to those granted under rule 8, issued by a competent authority in any other country, for the purpose of operating a Global Maritime Distress and Safety System.

13. Suspension or cancellation of GMDSS Certificate. – The Central Government may suspend or cancel the GMDSS Certificate, if in its opinion, the GMDSS Certificate holder has,-

(a) failed to comply with the provisions of the International Telecommunication Convention or the Radio Regulations, as applicable for such GMDSS Certificate, or the terms and conditions subject to which the GMDSS Certificate was issued in respect of operation of radio equipment; or

(b) wilfully furnished incorrect or false information to the Central Government:

Provided that no order of suspension or cancellation under this sub-rule shall be made unless the GMDSS Certificate holder has been given a reasonable opportunity of making a representation and being heard against such suspension or cancellation.

14. No refund of fees. – No compensation or refund of fees shall be applicable as a result of any suspension or cancellation of the GMDSS Certificate, for any reason whatsoever, or for any modification, variation, cancellation or revocation of the terms and conditions of the GMDSS Certificate.

15. Digital Implementation of these rules. – The Central Government shall, in furtherance of section 53 of the Act, notify a portal for the digital implementation of these rules, including for submission of applications, publication of syllabus, place, manner, date and time of examination, declaration of results of examinations, grant of GMDSS Certificate, modification of terms and conditions, any other permission, instruction or direction, as may be required for the operation of the GMDSS Certificates.

[No.24-03/2024-UBB]

DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2024.11.01 12:31:29 +05'30'